



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122023-250972
CG-DL-E-29122023-250972

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 740]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2023/पौष 8, 1945

No. 740]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2023/PAUSHA 8, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2023

(सं. 5/2023-स्वापक नियंत्रण-1)

सा.का.नि. 924(अ).—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 7ख एवं स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (नशीले पदार्थों के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष) नियमावली, 2006 के नियम 9 के संदर्भ में केन्द्र सरकार एतद्वारा वार्षिक रिपोर्ट अधिसूचित करती है जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निधि से धारा 7क की उप-धारा (2) के तहत वित्तपोषित क्रियाकलापों का लेखा-जोखा और साथ ही लेखा-विवरण निम्नानुसार दिया गया है:-

क. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निधि से धारा 7क की उप-धारा (2) के तहत वित्तपोषित क्रियाकलाप

क्रम सं./ आवेदन सं.	मंजूरी आदेश सं. और तारीख	संगठन का नाम/सहायता प्रदत्त क्रियाकलाप	स्वीकृत राशि (₹.)
1/113	एस.ओ. सं. 33, दिनांक 10.01.2023	पुलिस विभाग मिजोरम सरकार को पुलिस कर्मियों के नशामुक्ति और पुनर्वास के लिए पीटीएस में चिकित्सा अवसंरचना हेतु पुलिस विभाग, मिजोरम सरकार	50,00,000/-
2/118	एस.ओ. सं. 34, दिनांक	भारत में ड्रग, एल्कोहल, तम्बाकू और अन्य नशीले पदार्थों से बचने या उसमें नहीं फंसने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु नवाचार शिक्षा संबंधी/कार्यक्रमों पर दस्तावेजी फिल्मों "होशियार- ए टाइमली अवेयरनेस"	7,92,375/-

10.01.2023	के निर्माण के लिए सोशियो सर्विस आर्ट ग्रुप, एनजीओ, नई दिल्ली	
वर्ष के दौरान जारी कुल निधि 57,92,375/- रु. है		

ख. एनएफसीडीए प्रमुख शीर्ष 8121.00.118.01- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सामान्य और आरक्षित निधि प्राप्ति और संवितरण के संबंध में लेखा विवरण

वित्तीय वर्ष	रोकड़ जमा (रु.) (क)	जब्त की गई संपत्ति का विक्रयागम/अप्रयुक्त धन (रु.) (ख)	कोई भी आय (ब्याज) (रु.) (ग)	कुल प्राप्तियां (रु.) (ख+ग)=(घ)	संवितरण (रु.) (ङ)	अंत शेष (रु.) (क+घ+ङ)
2022-23	311069057	i. विक्रयागम-41881607 ii. अप्रयुक्त राशि की वापसी-0 कुल= 41881607	10420813	52302420	5792375	357579102

[फा. सं. एन-21014/1/2020-एनसी-1]

राम लखन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2023

(No. 5/2023-Narcotics Control-1)

G.S.R. 924(E).—In terms of Section 7B of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and rule 9 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (National Fund for Control of Drugs Abuse) Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the annual report giving an account of activities financed under sub-section (2) of Section 7A out of the Fund during the financial year 2022-23 together with Statement of Accounts as under: -

A. ACTIVITIES FINANCED UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 7A OUT OF THE FUND DURING THE FINANCIAL YEAR 2022-23

S.No. /Appl. No.	Sanction order No. & Date	Name of Organization/Activity supported	Amount Sanctioned (Rs.)
1/113	S.O. No. 33 dated 10/01/2023	Police Deptt. Government of Mizoram for medical infrastructure at PTS for detoxification and rehabilitation of police personnel to Police Deptt. Government of Mizoram	50,00,000/-
2/118	S.O. No. 34 dated 10/01/2023	Socio service Art Group, NGO, New Delhi for production of documentary films "Hoshyaar- a timely awareness" on innovative Educational /programmes to encourage youth to not trapped or indulge in Drug, Alcohol, Tabacoo and other substance abuse in India	7,92,375/-
Total Fund released during the year is Rs. 57,92,375/-			

B. STATEMENT OF ACCOUNT IN RESPECT OF NFCDA MAJOR HEAD 8121.00.118.01 – GENERAL AND RESERVE FUND FOR THE FINANCIAL YEAR 2022-23 RECEIPT AND DISBURSEMENT

Financial Year	Opening Balance (Rs.) (A)	Sale Proceed of Forfeited property / Unutilized money (Rs.) (B)	Any Income (Interest) (Rs.) (C)	Total Receipts (Rs.) (B+C)=(D)	Disbursement (Rs.) (E)	Closing Balance (Rs.) (A+D-E)
2022-23	311069057	i. Sale Proceed-41881607 ii. Refund of unutilized amount- 0 Total=41881607	10420813	52302420	5792375	357579102

[F. No. N-21014/1/2020-NC-I]

RAM LAKHAN, Under Secy.